

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

सी0बी0एस0ई0/4495-4502/2016-17

दिनांक 19 सितम्बर 2016

विषय:

चाइल्ड केयर विशप कोनराड स्कूल, हरुनगला निकट गोल्डन ग्रीन पार्क बरेली को

सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनदेश संख्या शिक्षा अनुभाग-7 1916/15-7-2009-1 (290)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के क्रम में गठित समिति निर्णय दि० 08.09.2016 के क्रम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03 विद्यालय में कम से कम 10 प्रशिक्षित स्थायी अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा पश्चिम/बेसिक शिक्षा पश्चिम द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा पश्चिम से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा पश्चिमों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा पश्चिम द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05 संस्था के शैक्षिक एवं शि्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।
- 09 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या क्षिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

Or

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली।

दिनांक उक्तवत्।

पृ०सं०:

सी0बी0एस0ई0/4495-4502

/2016-17

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01 संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
- 02 शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 03 जिलाधिकारी, बरेली।
- 04 संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
- 05 जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
- 06 प्रबन्धक/प्रधानाचार्य चाइल्ड केयर विशप कोनराड स्कूल हरुनगला, निकट गोल्डन ग्रीन पार्क बरेली।
- 07 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।


MANAGER
"CHILD-CARE" BISHOP CONRAD SCHOOL
Near Golden Green Park, Bisalpur Road
Haru Nagla, Bareilly (U.P.)

PRINCIPAL
"CHILD-CARE" BISHOP CONRAD SCHOOL
Near Golden Green Park, Bisalpur Road
Haru Nagla, Bareilly (U.P.) 243006